

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर(म.प्र.)

सागर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001

Phone: 07682-242107 (O.), 242870 (R.), 242107 (Fax) E-mail: cfchtpur@mp.gov.in

—: आदेश :—

क्रमांक/मा.चि./व्यय/2021/08

छतरपुर/दिनांक 15/01/2021

वनमण्डल उत्तर पन्ना अंतर्गत बमीठा-सतना मार्ग NH-75, में 18 कि.मी. से 110 कि.मी. तक में प्रभावित 39 हे. वनभूमि के एवज में दुगने वन क्षेत्र पर वन परिक्षेत्र पन्ना अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 80.00 हे. पर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य के क्रियान्वयन हेतु 40-40 हे० की पृथक-पृथक वृक्षारोपण योजनाएं म०प्र० शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 621/03/नियम/चार दिनांक 03.09.2003 में दिये गये प्रावधान एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. /2019/4050 दिनांक 30.12.2019 के तहत, 11 वर्षीय रोपण योजना वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा पत्र क्र०/मा.चि./2021/83 दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कुल 46988 प्रस्तावित मानव दिवस (कुल राशि 15180413/- एक कीरोड़ इन्क्वावन लाख अस्सी हजार चार सौ तेरह रु. मात्र) एतद् द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

जिला/ वनमण्डल	ग्राम/ परिक्षेत्र	खसरा क्रमांक/कक्ष क.	रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	विवरण	राशि (रु.में)
पन्ना/ उत्तर पन्ना	पन्ना	पी-429	40.00	वृक्षारोपण राशि	15180413.00
				वृक्षारोपण राशि पर आस्थामूलक राशि 5%	0
				वृक्षारोपण राशि पर मानव संसाधन एवं विकास 1%	0
				वृक्षारोपण राशि पर 4% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन राशि	0
				योग -	0
				कुल वृक्षारोपण राशि पर 10% पर्यवेक्षण शुल्क	0
				महायोग -	15180413.00

- कार्य राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।
- सामग्री कय, मध्यप्रदेश भंडार कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 07.02.2002 के अनुरूप कार्य कराये जावेंगे, एवं सफलता सुनिश्चित की जावेगी।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) का नियमानुसार संधारण किया जावे।

(आर. पी. राय)

मुख्य वन संरक्षक

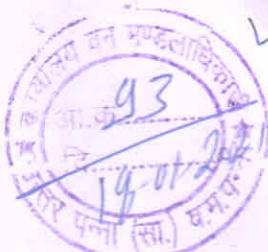
छतरपुर/वृत्त, छतरपुर

छतरपुर/दिनांक 15-1-2021

पृष्ठां.क्रमांक/मा.चि./व्यय/2021/82

प्रतिलिपि :-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल- उत्तर पन्ना को सूचनार्थ।
- आदेश पत्रावली।



मा.चि.

व.प्र.

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर/वृत्त, छतरपुर

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर(म.प्र.)

सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.) 471001
Phone: 07682-242107 (O.), 242870 (R.), 242107 (Fax) E-mail: cfchtpur@mp.gov.in

—: आदेश :—

क्रमांक/मा.चि./व्यय/2021/07

छतरपुर/दिनांक 15/01/2021

वनमण्डल उत्तर पन्ना अंतर्गत बमीठा-सतना मार्ग NH-75, में 18 कि.मी. से 110 कि.मी. तक में प्रभावित 39 हे. वनभूमि के एवज में दुगने वन क्षेत्र पर वन परिक्षेत्र पन्ना अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 80.00 हे. पर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य के क्रियान्वयन हेतु 40-40 हे० की पृथक-पृथक वृक्षारोपण योजनाएं म०प्र० शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 621/03/नियम/चार दिनांक 03.09.2003 में दिये गये प्रावधान एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. /2019/4050 दिनांक 30.12.2019 के तहत, 11 वर्षीय रोपण योजना वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा पत्र क्र०/मा.चि./2021/83 दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कुल 47740 प्रस्तावित मानव दिवस (कुल राशि 15423362/- एक करोड़ चौअन लाख तेईस हजार तीन सौ बासठ रु. मात्र) एतद् द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

जिला/ वनमण्डल	ग्राम/ परिक्षेत्र	खसरा क्रमांक/कक्ष क.	रोपण हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	विवरण	राशि (रु.में)
पन्ना/ उत्तर पन्ना	पन्ना	पी-456	40.00	वृक्षारोपण राशि	15423362.00
				वृक्षारोपण राशि पर आस्थामूलक राशि 5%	0
				वृक्षारोपण राशि पर मानव संसाधन एवं विकास 1%	0
				वृक्षारोपण राशि पर 4% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन राशि	0
				योग -	0
				कुल वृक्षारोपण राशि पर 10% पर्यवेक्षण शुल्क	0
				महायोग -	15423362.00

1. कार्य राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।
2. सामग्री कय, मध्यप्रदेश भंडार कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 07.02.2002 के अनुरूप कार्य कराये जावेंगे, एवं सफलता सुनिश्चित की जावेगी।
4. उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) का नियमानुसार संधारण किया जावे।

(आर. पी. राय)

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

छतरपुर/दिनांक

पृष्ठां.क्रमांक/मा.चि./व्यय/2021/81

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल- उत्तर पन्ना को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली।



मा.चि.
वसुध
18/01

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त, छतरपुर